औषधीय एवं सगंध पौधों कृषि के माध्यम से कृषक उद्यमिता, स्वरोजगार एवं रोजगार

कृषि
क्रिया–कलाप

विधायन

विपणन

OUR TEAM

Vinod Kumar, Director

HARIBHUMI BIO-ENERGY FARMER PRODUCER CO. LTD. VILL-Poore-Lasodhai, Kakkepur, Post- Dighaura Sommau, Harchandpur, Raebareli (U.P.)229303 Contact-09532800005, 9838214176, E-mail:haribhumifpcrbl2019@gmail.com

हरिभूमि बायो इनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी, कम्पनी एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत कम्पनी है, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषक उद्यमिता के पहलुओं से जोड़ते हुए उन्हें व्यवसायिक कृषि की ओर उन्मुख करना है। साथ ही हमारा उद्देश्य है कि किसानों की लागत को कम करते हुए कैश क्राप के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि तथा बेहतर अजीविका के संसाधनों को उपलब्ध कराना है। कम्पनी गठन से पूर्व वर्ष 2016 में जलवायु अनुकूल कृषि औषधीय एवं सगंध पौधों की कृषि के माध्यम से कृषक उद्यमिता विषय पर बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। इसके बाद अपने साथ 10 किसानों को जोड़कर कान्हा जैव ऊर्जा एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया और 15 अन्य किसानों को जोड़कर समूह द्वारा उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा निःशुल्क लेमनग्रास की पौध उपलब्ध करायी गयी। लेमनग्रास की कृषि से किसानों को अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ हुआ और समूह के सदस्य इसे व्यवसाय के रूप में करने लगे। वर्ष 2019 में बोर्ड के सहयोग से हरिभूमि बायो इनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी का गठन कराया गया। आज कम्पनी के माध्यम से 250 किसान लेमनग्रास की खेती कर रहे है। कम्पनी द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता का प्लाण्टिक मैटेरियल, तकनीकी, विधायन (आसवन) तथा विपणन की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है। यह सब बोर्ड द्वारा शुरूआती सहयोग के कारण संभव हो पाया है।

हरिभूमि द्वारा औषधीय एवं सगंध पौधों का रोपण कर उत्पादक क्रियाकलापों का संचालन करते हुए सतत स्वरोजगार/ रोजगार के अवसर सृजित करने तथा कृषक उद्यमिता का कार्य किया जा रहा है। जिससे गैर परम्परागत स्वसंसाधनों की सहायता से आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस प्रयास से कृषक जनसंख्या का लगभग 85 प्रतिशत भाग, जो लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी में सम्मिलित है, की अनुत्पादक हो चुकी छोटी जोतों को संकलित कर व्यावसायिक उत्पादक स्वरूप प्रदान किया जा सकेगा। अन्ततः किसानों की आय दोगुनी से भी अधिक किये जाने, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं हेतु सतत स्वरोजगार तथा अ ार्गेनिक खेती को किसानों द्वारा अपनाना आसान हो जायेगा।

औषधीय एवं संगंध पौधों की खेती से जहॉ किसानों की आय बढ़ेगी वहीं ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए उद्यम के नये आयाम विकसित होकर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज के समय में युवाओं का खेती से बिलकुल मोह भंग हो गया है जिससे गॉव से शहर की ओर लगातार पलायन हो रहा है क्योंकि किसान के पास कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार नवाचारी प्रयोग के लिए समान्य रूप से धन की अनुल्बधता बनी रहती है इसलिए मुख्य रूप से दो ही पारम्परिक फसलों की खेती कर पाते हैं जिससे उतनी आय नहीं हो पाती कि गुजारा हो सके। अच्छी प्रकार की देख–रेख कर एक एकड़ की कृषि से औसतन रू0 6000.00 से 8000.00 महीने की आय हो सकती है।

औषधीय एवं सगंध पौधों की कृषि के माध्यम से किसानों हेतु आय सवंर्धन, युवाओं हेतु स्वरोजगार एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार अवसर सृजित होना :–

1. उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि की सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से किसानों की क्षमता को सुदृढ़ करना।
2. सघन कृषि उत्पादन के लिए बेहतरीन कृषि निवेश एवं तकनीकी सेवाओं तक पहुंच एवं उनके प्रयोग को सुनिश्चित करना तथा महिला कृषि समूहों/कृषक समूहों/किसानों की प्रतिस्पर्धी क्षमता में वृद्धि करना।
3. उचित एवं लाभप्रद उत्पादन तथा बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना कृषि से जुड़ी आबादी को बाजार के अवसरों से जोड़ना।
4. खेती के लगभग सभी पहलू उत्पादन के लिए कृषि निवेश तकनीकी सेवाओं से लेकर प्रसंस्करण, मूल्य सवंर्धन एवं विपणन तथा बाजार सूचना, उत्पादक सामग्री की आपूर्ति, कारोबार विकास सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने के लिए किसानों संसाधकों, व्यापारियों, फुटकर विक्रेताओं के बीच संबंध स्थापित करना तथा समय–समय समय पर नवीन सेवाओं एवं योजनाओं को करते हुए किसानों के आर्थिक स्तर को बढ़ाना तथा युवाओं हेतु स्वरोजगार संबंधी योजनाओं को प्रोत्साहित करना।
5. परियोजना अवधि के एक वर्ष के अंत तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन में 50 प्रतिशत का सुधार।
6. किसान की शुद्ध आय में वृद्धि (मुद्रा स्फीति 10 प्रतिशत)।
7. जड़ी–बूटी की उत्पादक सामग्री की उपलब्धकता में अंतर में 20 से 25 प्रतिशत की कमी।
8. खाद्य, पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा ।
9. खेती की गहनता में वृद्धि के कारण रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन।
10. पलायन में कमी।
11. क्षेत्रीय मानव शक्ति का अधिकतम उपयोग
12. पर्यावरण – कार्बन क्रेडिट

विजन :

औषधीय एवं सगंध पौधों की कृषि को बढ़ावा देने का मूल उद्देश्य पारम्परिक कृषि एवं औद्यानिक क्रियाकलापों को प्रभावित किये बिना किसान के सतत आय संवर्धन हेतु पर्यावरण प्रिय तरीके से प्रयास करना है। समस्त क्रिया–कलाप **वैल्यू चेन मैकनिज्म** के अन्तर्गत **उद्यमिता मोड** के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा। इसके अर्न्तगत पर्यावरण प्रिय तरीके से जलवायु अनुकूल कृषि के माध्यम से कृषक उद्यमिता, स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर को सृजित करते हुए खाद्य, पोषण एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सतत् कटिबद्ध प्रयास किया जायेगा।

हरिभूमि बायो इनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर का मूल उद्देश्य किसानों के साथ मिलकर कृषक उद्यमिता को विकसित करते हुए बेहतर जीविका के संसाधानों का विकास करना है। हरिभूमि बायो इनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी द्वारा कम्पनी से जुड़े हुए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना, तकनीकी, विधायन तथा विपणन की जानकारी देना, किसान द्वारा उत्पादन करना, गॉव के ही युवा द्वारा उत्पाद का कलेक्शन करना, कम्पनी द्वारा उत्पाद को स्थानीय स्तर से अधिक मूल्य में बिक्री कर किसानों को उत्पाद का अधिक मूल्य उपलब्ध कराना तथा कम्पनी द्वारा इन्सिेन्टिव प्राप्त करना। किसानों के उत्पाद के मूल्य को तीन दिन के अन्दर उनके खाते में जमा करना। हरिभूमि बायो इनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के 600 से ऊपर सदस्य है जो इस वित्तीय वर्ष में 1000 की संख्या को पार लेंगे। दूसरा हम हमारे किसान उत्पादक की भूमिका रहे और अपने उत्पाद की बिक्री

अधिक मूल्य पर करें जबकि जैसे बहुत सारे एफ0पी0ओ0 खाद बीज की दुकान खोलते हैं और किसानों का समूह उनका खरीददार बन कर रह जाता है कोई परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि जो सोसाइटी या किसी दुकान से खाद खरीद रहा था वह एफ0पी0ओ0 से खरीदने लगा और एफ0पी0ओ0 का कोई एक निदेशक ही रोजगार हो पाता है। इस परिस्थिति से एफ0पी0ओ0 को बचना होगा। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लगभग 10000 किसान भी कम्पनी से जुड़े हुए हलांकि वह कम्पनी के सदस्य या शेयर होल्डर नहीं है जिन्हें औषधीय एवं सगंध पौधों में खास लेमनग्रास की कृषि तकनीक, विधायन तथा विपणन की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है।

जैसा कि परिलक्षित है कि उनमें सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों पर भरोसा कम हुआ है हमारा यह प्रयास है कि किसान और कम्पनी के बीच में भरोसे को कायम करना और उनमें एक उम्मीद जगाना जैसा कि किसी ने ठीक कहा है–

बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है, किश्ती भरे तूॅफा से निकल सकती है।

मायुश न हो इरादे न बदल, ये तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है।

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और इसकी कृषक जनसंख्या का लगभग 85 प्रतिशत भाग, जो लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी में सम्मिलित है, की घाटे में हो चुकी छोटी–छोटी जोतों में लागत को कम करते हुए कम क्षेत्रफल में अधिक आय और यह केवल व्यावसायिक खेती का स्वरूप प्रदान करते हुए ही किया जा सकता है और कोई समाधान नहीं है किसानों की लिक्विडिटी की समस्या दूर हो जायेगी उस दिन किसान भी नवाचारी कृषि गतिविधियों को करते हुए नजर आयेगा और किसान के बच्चे को शहर नहीं भागना पड़ेगा और किसी के सामने मजलूमियत के साथ हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जैसे सरकार द्वारा घोषित **लोक कल्याण संकल्प पत्र–2017** में वर्णित किसानों की आय दोगुनी किये जाने का लक्ष्य रखा गया है इसका एक मात्र

समाधान है कि कम क्षेत्रफल, कम लागत में अधिक उत्पादन करते हुए किसानों की लिक्विडिटी की समस्या को दूर करना इस समस्या के दूर होते ही आय भी दोगुनी होगी युवाओं हेतु सत्त स्वरोजगार तथा आर्गेनिक खेती भी होने लगेगी। आज बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान को छोड़कर सभी के पास बेहतर जीविका के संसाधन उपलब्ध है।

हरिभूमि बायो इनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लि0 के द्वारा औषधीय एवं सगंध पौधों की कृषि के माध्यम से किसानों का आय सवंर्धन बेहतर जीविका के संसाधनों को उपलब्ध कराना, युवाओं हेतु स्वरोजगार एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार अवसर सृजित करना प्रमुख एजेण्डा है– इसको करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयामों के जरिए हम आगे बढ़ रहे है जैसे– लेमनग्रास की कृषि से एक एकड़ रकबे पर प्रथम वर्ष की लागत लगभग रू0 25 से 30 हजार को यदि कैपिटल इन्वेस्टमेंट मान लिया जाय जो कि पॉचवें साल के अन्तिम उत्पादन चक्र में निकाली जायेगी तो इस प्रकार प्रथम वर्ष में एकड़ में दो, तीन कटाईयों से लगभग 30 से 40 हजार की आमदनी होगी और दूसरे वर्ष से 3 से 4 कटाईयों से लगभग 80 से 100 किलो ग्राम का उत्पादन

होगा जो कि संचालन जैसे–सिंचाई, कटाई, आसवन में व्यय 30 प्रतिशत यानि 1.00 लाख की आय में से 30 हजार लागत लगने पर शुद्ध आय 70 हजार होगी। किन्तु इसमें क्षेत्रफल में पर्याप्त पौधों की संख्या, नियमित आसवन चक्र और आसवन में लकड़ी का इस्तेमाल न कर तेल निकाली गयी पत्तियों का आसवन में उपयोग किया जाय। इसी प्रकार से अन्य फसलों से भी किसानों का लाभ होगा।

अन्त में मै यही कहना चाहूँगा कि

किसानों का विकास, कृषक उत्पादक संघों के साथ।

यह किसानों के लिए आशा एवं अपेक्ष की नई किरण है

अभी नही तो कभी नहीं।